

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—30/2022 (2022/397) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नाथुलाल पिता हीरालाल ढोली निवासी चावण्डखेड़ा तहसील आमेट जिला राजसंमद

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. स्वयं प्रार्थी —

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—23.12.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम थोरियाखेड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 536/470 रकबा 1.30 है0 भूमि खाता संख्या 32 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी सदैव से अपनी उक्त वर्णित आराजी में आवागमन, पैदल, संज, बैल, बैलगाड़ी आदि से बिलानाम आराजी संख्या 558/389 रकबा 0.50 है0, आराजी संख्या 559/389 रकबा 1.26 है0, आराजी संख्या 532/441 रकबा 1.28 है0 में से होकर आवागमन करता है लेकिन रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा है। प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 536/470 में आवागमन करने का एक मात्र रास्ता बिलानाम आराजी संख्या 558/389, 559/389, 532/441 में से ही है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के आवागमन करने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी नियमानुसार डीएलसी दर अदा करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी की नवीन आराजी संख्या 536/441 में रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु तहसीलदार रायपुर को आदेशित फरमाया जावे एवं रास्ते में समायोजित होने वाले रकबा की डीएलसी दर से राशि विपक्षी को दिलाया जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम थोरियाखेड़ा में प्रार्थी द्वारा अंकित आराजी संख्या 661/389, 559/389, 532/441 पर वर्तमान में कुल लम्बाई 450मीटर चौड़ाई 4 मीटर में रास्ता मौके पर है जिससे प्रार्थी आवागमन करता है। मौके पर उक्त प्रस्तावित रास्ता खुला हुआ है प्रार्थी यहां से आवागमन करता है बन्द नहीं है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान



में प्रार्थी की आराजी संख्या 536/470 पर आराजी संख्या 661/389, 559/389, 532/441 में होकर आवागमन किया जा रहा है। मौके पर आराजी संख्या 661/389 रकबा 0.40 है० मे से 0.04 है० आराजी संख्या 559/389 रकबा 1.26 है० मे से 0.10 है० एवं आराजी संख्या 532/441 रकबा 1.28 है० मे से 0.04 है० कुल रास्ते का रकबा 0.18 है० भूमि बनती है उपरोक्त भूमि अंसिचित होकर गांव से 1.5 किलोमीटर दुर स्थित जिसकी डीएससी दर 235241/- रूपये प्रति है० जिससे 0.18 है० की भूमि कीमत 42344/- रूपये बनती है जिसको नियमानुसार दुगुना करने पर 84688/-रूपये बनती है। उक्त प्रस्तावित भूमि को नक्शा ट्रेस में लाल रखाही में दर्शाया गया है। मौके पर और कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग हेतु ली जा रही भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थी कई वर्षों से आवागमन कर रहे है और अन्य कोई विकल्प नहीं हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। प्रार्थी की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षों से इसी जगह से होकर आवागमन करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षी की ओर से भी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 536/470 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 661/389 रकबा 0.40 है० मे से 0.04 है० आराजी संख्या 559/389 रकबा 1.26 है० मे से 0.10 है० एवं आराजी संख्या 532/441 रकबा 1.28 है० मे से 0.04 है० कुल रास्ते का रकबा 0.18 है० भूमि जिसकी डीएससी दर 235241/-रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 42344/-रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 84688/-रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(राजेश मुवालका)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला तहसील बाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—30 / 2022 (2022 / 397) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नाथुलाल पिता हीरालाल ढोली निवासी चावण्डखेड़ा तहसील आमेट जिला राजसंमद

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 536 / 470 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 661 / 389 रकबा 0.40 है0 मे से 0.04 है0 आराजी संख्या 559 / 389 रकबा 1.26 है0 मे से 0.10 है0 एवं आराजी संख्या 532 / 441 रकबा 1.28 है0 मे से 0.04 है0 कुल रास्ते का रकबा 0.18 है0 भूमि जिसकी डीएससी दर 235241 /—रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 42344 /—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 84688 /—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 23.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलक्टर
रायपुर, जिला भीलवाड़ा